पत्रावली वास्ते [illegible] दिनांक 5.6.25 को पेश हो।

04.06.2025

पत्रावली पेश हुई।

वादीगण के वकील उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1 के वकील उपस्थित।

प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आ. 2 नि. 2 सी.पी.सी. एवं धारा 10 व 11 सी.पी.सी. दिनांक 16.02.2022 पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी (प्रतिवादी) की बहस है कि वादीगण (विप्रार्थीगण) ने ग्राम धन्ने की ढाणी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 209 व 210 कुल रकबा 74–13 बीघा भूमि के सम्बन्ध में धारा 88,53,188 रा.का.अधि. के अन्तर्गत यह वाद प्रस्तुत किया है। जबकि इसी न्यायालय में इन्हीं पक्षकारान के मध्य इसी विषय–वस्तु एवं धाराओं के अन्तर्गत प्रार्थी द्वारा दायर करवाया गया वाद विचाराधीन है, जिसमें विप्रार्थीगण द्वारा पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर अदालत द्वारा जवाब का अवसर बन्द किया गया। बाद में विप्रार्थीगण एवं उनके अभिभाषक में से किसी के उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी साक्ष्य की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद दिनांक 14.11.2019 को न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:25:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा प्रा. डिक्री जारी की जाकर वादग्रस्त भूमि के संबंध में तहसीलदार सिणधरी विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया। उक्त प्रा.डिक्री आदेश के विरूद्व विप्रार्थी लुम्बाराम ने माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसमें माननीय न्यायालय ने अन्तरिम स्थगन जारी किया था, किंतु विप्रार्थी के पेशी तिथियों पर उपस्थित नहीं होने से अपील अदम हाजरी में निरस्त हो गयी थी और इसके साथ ही अन्तरिम स्थगन भी निरस्त हो गया था। विप्रार्थी यदि चाहते, तो न्यायालय में जवाब के जरिये काउन्टर क्लैम प्रस्तुत कर वे समस्त बिन्दु उठा सकते थे, जो उन्होनें इस वाद में प्रस्तुत किये है। इस प्रकार समान पक्षकारान व विषय–वस्तु को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया यह वाद रेस्ज्यूडीकेटा की तारिफ में आने से भी आदेश 2 नियम 2 सी.पी.सी. के तहत बाधित होने से मय खर्चा खारिज किया जावे। अपनी दलील के समर्थन में वकील प्रार्थी (प्रतिवादी) ने RLW2017 (2)SC page 1765, CCC 2009 (2) SC page 208, RRT 2017 (2)SC page 1154, RRT 2005 (2) HC page 1305, CCC 2012(2) All page 562, RLW 2008(3) SC page 2224 And CCC 2007 (4) SC page 101 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये।

इसके विपरीत वकील विप्रार्थी (वादी) की बहस है कि आ. 02 नि. 2 सी.पी.सी. के प्रावद्यान उसी स्थिति में लागू होते है, जिसमें एक ही वादी द्वारा समान विषय–वस्तु को लेकर एक वाद के चलते दूसरा वाद प्रस्तुत किया हो। वैसे विवाद बिन्दु अलग होने की स्थिति में एक ही वादी द्वारा एक वाद के चलते दूसरा वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार किया गया वाद भी आ. 2 नि. 2 सी.पी.सी के प्रावद्यानों से बाधित नहीं होता है। प्रार्थी वकील ने न्याय दृष्टांत भी इसी आशय के प्रस्तुत किये है, जो इस प्रकरण की परिस्थिति पर लागू नहीं होते है। पूर्व वाद सं. 100/16 (178/2016) में वादी किरताराम है, जिसका मुख्य बिन्दु विभाजन है, जबकि वाद सं. 11/2020 में वादी लुम्बाराम कुंभाराम व रूपाराम है जिसमें मुख्य बिन्दु घोषणात्मक है। प्रथम वाद में बिनायदावा प्रतिवादी द्वारा खेत को बेचान करने की आशंका है, जबकि दूसरे प्रस्तुत वाद में बहिस्सा बराबर हक होना, किंतु प्रतिवादी द्वारा स्वयं को केसाराम का दत्तक पुत्र बताकर गलत रूप से राजस्व रिकार्ड में 1/2 हिस्सा दर्ज करवाना उल्लेखित है। इस प्रकार दोनों वादों में पक्षकार स्थिति, बिनायदावा एवं विवाद बिन्दु भिन्न होने से प्रस्तुत वाद आ. 2 नि. 2 सी.पी.सी. के प्रावद्यानों से प्रभावित नहीं होता है। जहां त[illegible]केटा का प्रश्न है, वे उस परिस्थिति में लागू है, जह[illegible] से निर्णीत हो चुका हो और उसी विषय–वस्तु के संबंध में किसी के [illegible] प्रस्तुत किया गया हो। किंतु यहां पहला वाद निर्णीत नहीं होकर वि[illegible]धीन है। दोनों वादों के विवाद बिन्दु भिन्न होने से धारा 10 के प्रावद्यान इस वाद पर लागू नहीं होते हैं इस प्रकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2020.09.28 18:25:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी (प्रतिवादी) का प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर आधारित होने से मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। वकील विप्रार्थी (वादी) ने अपने जवाब के समर्थन में DNJ(SC)2017 Page 574, DNJ (SC) page 15, DNJ(Raj) 2007(2) Page 622 And RRD 1987 Page 83 के उद्धरण प्रस्तुत किये।

हमने दोनों पक्षों की प्रार्थना पत्र पर की गई बहस पर मनन, दोनों पत्रावलियों का अवलोकन तथा उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांतों का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया। पूर्व प्रस्तुत वाद एवं बाद के वाद में वादग्रस्त भूमि मौजा धन्ने की ढाणी खसरा संख्या 209 व 210 कुल रकबा 74–13 बीघा समान है, दोनों वादों में धाराएं 88,53,188 रा.का.अधि. समान है और पक्षकारान भी समान है। दूसरे वाद में पहले वाद के प्रतिवादीगण ने ऐसा कोई अनुतोष नहीं चाहा है, जो वे प्रतिवादी की हैसियत से जवाब व काउन्टर क्लैम के जरिये नहीं मांग सकते थे। घोषणात्मक काउन्टर क्लैम के जरिये राजस्व रिकार्ड में अंकित हिस्सों को चुनौती दी जा सकती है। प्रथम वाद की आदेशिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि विप्रार्थी स्वयं पेशी तिथियों पर उपस्थित होते रहे है। इससे उनकी अनभिज्ञता सम्बन्धी दलील को नहीं माना जा सकता। उन्होने न केवल पर्याप्त अवसर मिलने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि वादी साक्ष्य से जिरह भी नहीं की और न अपनी ओर से साक्ष्य प्रस्तुत की। उनकी लगातार अनुपस्थिति के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय आदेश पारित हुए। हम वकील विप्रार्थी (वादीगण) की इस दलील से सहमत है कि रेसज्यूडीकेटा के प्रावधान उस परिस्थिति में लागू होते है, जबकि पूर्व प्रस्तुत वाद अन्तिम रूप से निर्णीत हो चुका हो और उसी विषय–वस्तु से सम्बधित वाद उसी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। चूंकि पहला वाद अभी अन्तिम बहस के स्तर पर विचाराधीन है, अतः प्रकरण में रेसज्यूडीकेटा के प्रावधान लागू नहीं होते है। किंतु समान विषय–वस्तु व समान पक्षकार को लेकर दो वादों का विचारण आदेश 2 नियम 2 सी.पी.सी. के प्रावधानों से बाधित है और इससे दो प्रकार के निर्णय पारित होने की आशंका रहेगी। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांत RLW 2014(2) SC Page 1765 के अनुसार प्रथम वाद दायर के दौरान उपलब्ध होने के बावजूद कोई अनुतोष छोड़ देने के बाद पृथक से नया वाद दायर नहीं किया जा सकता। विप्रार्थी (वादीगण) की ओर से प्रस्तुत न्याय दृ[illegible] के प्रावधान उस परिस्थिति में लागू होते है, जहां वाद [illegible] ही नहीं हो किंतु प्रकरण के दोनों वादों में वादग्रस्त [illegible] है। DNJ ([illegible]) 2015 Page 15 के प्रावधान वहां लागू होते है, जहां दूसरा वाद विशिष्ट प्रदर्शन [illegible] लिए समझौते को लेकर दायर किया गया हो, जबकि दूसरे वाद में पहले वाद की परिस्थितियां समान है और दोनों वाद कण्टैस्ट है। DNJ (Raj) 2002(2) Page 622 के प्रावधान उन परिस्थितियों पर लागू

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:25:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

होते है, जहां दोनों वादों में धाराएं पृथक–पृथक हो। इस नजीर में पूर्व का वाद स्थायी निषेधाज्ञा के लिए था, जबकि वाद विभाजन एवं हिसाब के लेखे जोखे को लेकर था, किंतु प्रस्तुत प्रकरण में धाराएं 88,53,188 रा.का.अधि. समान है। RRD 1987 Page 83 में दोनों वादों को इसलिए चलने योग्य माना गया था, क्योंकि दूसरा वाद कानून में संशोधन के बाद प्रस्तुत हुआ था और पहले वाद का प्रस्तुतीकरण संशोधन से पहले हुआ था, किंतु वर्तमान विचारणीय प्रकरण में किसी धारा में कोई संशोधन नहीं हुआ है।

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विप्रार्थीगण (वादी) की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टांत इस प्रकरण की प्रकृति पर चस्पा नहीं होते है।

लिहाजा विप्रार्थीगण (वादी) द्वारा प्रस्तुत वाद आदेश 2 नियम 2 सी.पी.सी. एवं धारा 10 व 11 सी.पी.सी. के तहत बाधित होने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:25:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner